



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्य ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक / 2476 / 91 / विज्ञापन / 2020

नवा रायपुर, दिनांक 07/08/2024

शुद्धि पत्र

:: प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) – 2021 ::

:: शुद्धि पत्र क्रमांक 03/2024/परीक्षा/दिनांक 07/08/2024 ::

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त मांग-पत्रों के आधार पर "प्राध्यापक" के कुल 595 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2021/परीक्षा/दिनांक 02.09.2021 जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 13/09/2021 से 12/10/2021 तक निर्धारित की गई थी। आयोग के सूचना पत्र क्रमांक 2894/91/विज्ञापन/2020, दिनांक 07.10.2021 द्वारा उक्त विज्ञापन को स्थगित किया गया था।

(2) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 1-24/2021/38-1 दिनांक 26/06/2024 द्वारा शुद्धि-पत्र जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के अनुसार पुनः ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 08/08/2024 मध्याह्न 12:00 बजे से 06/09/2024 रात्रि 11:59 बजे तक निर्धारित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 07/09/2024 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 13/09/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 14/09/2024 को मध्याह्न 12:00 बजे से 18/09/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रु. 500/- (रुपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।

(3) विज्ञापन की कंडिका (2) (iv) में अंकित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता के (क) (एक) में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

“(क)

(एक) संबंधित या संबद्ध/सुसंगत विषय में पी.एच.डी. की उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान हों और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो, प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से जुड़ा हो, साथ ही प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित पुस्तकों के रूप में और/अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अनुसंधान/नीतिगत पत्रों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 10 प्रकाशन किए हों एवं विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 06 सितम्बर, 2021 के अनुसार कम से कम 120 अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

(4) विज्ञापन की कंडिका 3 (3.1) में अंकित स्टायपेण्ड प्रतिशत को विलोपित किया जाता है।

(5) विज्ञापन की कंडिका (4) में अंकित निर्धारित आयु सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

निर्धारित आयु सीमा:- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2021 को 31 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी की उच्चतर आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक ना हो।

(अ) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् “अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष” के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 16.09.2008 के निर्बधन, प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे।

(ब) प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट आयु में विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात्, उच्चतर आयु सीमा 61 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(स) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

(6) अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन भी मान्य होंगे बशर्त अभ्यर्थी संशोधित अर्हता धारित करते हों। सभी अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है वे भी त्रुटि सुधार की अवधि में अनिवार्य रूप से नवीन वांछित प्रविष्टियां करें तथा अपनी प्रविष्टियों में सुधार करें एवं अपने नवीनतम फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें। त्रुटि सुधार अवधि में प्रविष्टि नहीं करने पर पूर्व में प्रस्तुत आवेदन निरस्त किए जा सकेंगे।

(7) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :- छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/- (चार सौ रुपये) आवेदन शुल्क देय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(8) विज्ञापन क्रमांक 07/2021/परीक्षा/दिनांक 02.09.2021 की शेष समस्त शर्तें/कण्डिकाएं यथावत रहेंगी।

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर अटल नगर